

प्रश्न सं. [क. 752]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 752 माननीय श्री सुनील उईके
आरक्षण मामले में याचिका क्रमांक 5901/2019 में फीस भुगतान

स. क्र.	सा.प्र.वि. आरक्षण प्रकोष्ठ का आदेश क्रमांक दिनांक	अधिवक्ता का नाम	राशि रुपये	टिप्पणी
01	एफ 7-38/2019/आ0प्र0/एक दिनांक 07.01.2021	श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, मान. उच्चतम न्यायालय	15,00,000/-	
02	एफ 7-38/2019/आ0प्र0/एक दिनांक 10.11.2021	श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, मान. उच्चतम न्यायालय	30,00,000/-	
03	एफ 7-38/2019/आ0प्र0/एक दिनांक 25.11.2021	श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, मान. उच्चतम न्यायालय	15,00,000/-	
04	एफ 7-38/2019/आ0प्र0/एक दिनांक 10.12.2021	श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, मान. उच्चतम न्यायालय	15,00,000/-	
04	एफ 7-38/2019/आ0प्र0/एक दिनांक 10.11.2021	श्री के.एम.नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मान. उच्चतम न्यायालय	11,00,000/-	
05	एफ 7-38/2019/आ0प्र0/एक दिनांक 25.11.2021	श्री के.एम.नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मान. उच्चतम न्यायालय (22,00,000-10,78,000)	10,78,000/-	वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 10,78,000/- तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में शेष राशि रुपये रु. 11,22,000/- का भुगतान किया गया
	एफ 7-38/2019/आ0प्र0/एक दिनांक 25.11.2021	श्री के.एम.नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मान. उच्चतम न्यायालय (22,00,000-10,78,000=11,22,000)	11,22,000/-	

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (आ. प्र.)

Chief Account Officer
M.P. Mantfalaya, Bhopal

स. क.	सा.प्र.वि. आरक्षण प्रकोष्ठ का आदेश क्रमांक दिनांक	अधिवक्ता का नाम	राशि रुपये	टिप्पणी
06	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 15.03.2022	श्री विनायक प्रसाद शाह, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	7,50,000/-	
07	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 15.03.2022	श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	7,50,000/-	
08	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 17.05.2022	श्री के.एम.नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मान.उच्चतम न्यायालय	22,00,000/-	
09	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 13.02.2023	श्री विनायक प्रसाद शाह, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	22,50,000/-	
10	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 06.02.2023	श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	22,50,000/-	
11	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 16.06.2023	श्री विनायक प्रसाद शाह, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	3,00,000/-	
12	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 16.06.2023	श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	3,00,000/-	
13	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 06.12.2023	श्री विनायक प्रसाद शाह, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	10,50,000/-	
14	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 06.12.2023	श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	10,50,000/-	

अनुभाग अधिकारी
नध्यप्रदेश शासन
सांख्यिक प्रशासन विभाग (आ.प्र.)

Chief Account Officer
M.P. Mantralaya, Bhopal

स. क्र.	सा.प्र.वि. आरक्षण प्रकोष्ठ का आदेश क्रमांक दिनांक	अधिवक्ता का नाम	राशि रुपये	टिप्पणी
15	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 07.08.2024	श्री कै.एम.नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मान.उच्चतम न्यायालय	66,00,000/-	
16	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 27.08.2024	श्री विनायक प्रसाद शाह, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	9,00,000/-	
17	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 07.11.2024	श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	3,00,000/-	
18	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 07.11.2024	श्री विनायक प्रसाद शाह, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर।	3,00,000/-	
19	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 27.08.2024	श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर	9,00,000/-	
20	एफ 7-38/2019/आ0प्र0 / एक दिनांक 25.08.2021	श्री शशांक शेखर, तत्कालीन महाधिवक्ता मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर	8,31,000/-	तत्कालीन महाधिवक्ता श्री शशांक शेखर द्वारा रिट पिटीशन 5901/2019 में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था पर किये गये व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (आ.प्र.)

Chief Account Officer
M.P. Mantralaya, Bhopal